भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 5306
दिनांक 03.04.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

जेजेएम के अंतर्गत फ्लोराइड और आर्सेनिक मुक्त पेयजल

5306. श्री दिलीप शडकीयाः
श्री भोजराज नागः
श्री दिनेशभाई मकवाणाः
श्री लुम्बाराम चौधरीः
श्री बिद्युत बरन महतोः
सुश्री कंगना रनौतः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत फ्लोराइड और आर्सेनिक मुक्त पेयजल उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने में कितनी प्रगति हुई है;
(ख) क्या सरकार ने देश में विशेषकर राजस्थान के जालौर और सिरोही जिलों में उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) सरकार द्वारा किए गए/किए जा रहे विशिष्ट शमन उपायों का ब्यौरा क्या है; और
(घ) सरकार द्वारा वास्तविक समय पर जल गुणवत्ता निगरानी प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (घ): अगस्त 2019 से राजस्थान सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाली और नियमित तथा दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर

जल लागू किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत, मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय मानक ब्यूरो के बीआईएस: 10500 मानकों को पाइपगत जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से आपूर्ति किए जा रहे जल की गुणवत्ता के लिए बेंचमार्क के रूप में अपनाया जाता है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत आने वाली स्कीमों सहित पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन एवं रखरखाव का उत्तरदायित्व राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राजस्थान राज्य सहित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करती है।

- राज्यों द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस पर दी गई सूचना के अनुसार, जेजेएम की शुरूआत से अब तक लगभग 7,746 फ्लोराइड प्रभावित और 13,706 आर्सेनिक प्रभावित बसावटों को पाइपगत जलापूर्ति स्कीमों से कवर किए जाने की सूचना है।
- देश में इन 7,746 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में से 4,177 फ्लोराइड प्रभावित बसावटें राजस्थान राज्य की थीं।
- राजस्थान में फ्लोराइड से प्रभावित इन 4,177 बसावटों में से जालौर और सिरोही जिले में क्रमश: 480 और 92 बसावटें फ्लोराइड से प्रभावित थीं, जिनके बारे में अब राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उन्हें जेजेएम की पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों के माध्यम से कवर कर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, आज की तारीख में देश में 250 फ्लोराइड और 314 आर्सेनिक प्रभावित ग्रामीण बसावटें शेष हैं जहां जेजेएम मानकों के अनुरूप पाइपगत जलापूर्ति स्कीमें अभी चालू की जानी हैं। तथापि, इन सभी बसावटों (फ्लोराइड के लिए 250 और आर्सेनिक के लिए 314) में पीने और खाना पकाने की आवश्यकताओं के लिए 8-10 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन (एलपीसीडी) की दर से प्रत्येक परिवार को पीने योग्य जल उपलब्ध कराने के अंतरिम उपाय के रूप में समुदाय आधारित जल शुद्धिकरण संयंत्रों के माध्यम से स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया गया है।

- राजस्थान राज्य ने सूचित किया है कि इसकी 80 शेष फ्लोराइड प्रभावित बसावटों (देश में शेष 250 फ्लोराइड प्रभावित बसावटों में से) में सीडब्ल्यूपीपी/आईएचपी के माध्यम से भी स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा दिया गया है।
- राजस्थान द्वारा जेजेएम-आईएमआईएस में दी गई सूचना के अनुसार, आज की तारीख में राजस्थान राज्य में आर्सेनिक से प्रभावित कोई बसावट नहीं है। इस प्रकार, देश के

ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बसावटों को फ्लोराइड और आर्सेनिक संदूषण से मुक्त स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

जल जीवन मिशन के अंतर्गत, परिवारों को नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराने के लिए जल आपूर्ति स्कीमों की योजना बनाते समय फ्लोराइड और आर्सेनिक सहित रासायनिक संदूषकों द्वारा प्रभावित बसावटों को प्राथमिकता दी जाती है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता मुद्दों वाले गांवों के लिए वैकल्पिक सुरक्षित जल स्रोतों पर आधारित पाइपगत जल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना और कार्यान्वयन करने की सलाह दी गई है। विभाग ने जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों, जहां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनके पेयजल स्रोतों में संदूषण वाली बसावटों की स्थिति का उल्लेख किया गया है, के आंकडे कैप्चर करने तथा उनकी निगरानी करने के लिए एक वेब आधारित समेकित प्रबंधन सूचना प्रणाली (जेजेएम-आईएमआईएस) विकसित की है।

कार्यसंबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जल जीवन मिशन के अंतर्गत जल गुणवत्ता निगरानी एवं पर्यवेक्षण (डब्ल्यूक्यूएम एंड एस) गतिविधियों के लिए निधियों के उनके वार्षिक आबंटन के 2% तक का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना और सुदृढ़ीकरण, उपकरणों, उपस्करों, रसायनों, कांच से बने सामान, उपभोज्य वस्तुओं की खरीद, कुशल जनशक्ति को काम पर रखना, फील्ड परीक्षण किटों (एफटीके) का उपयोग करके समुदाय द्वारा निगरानी करना, जागरूकता सृजन, जल गुणवत्ता संबंधी शैक्षिक कार्यक्रम, प्रयोगशालाओं का प्रत्यायन/मान्यता आदि शामिल है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जल गुणवत्ता के लिए पानी के नमूनों का परीक्षण करने और पेयजल स्रोतों के नमूना संग्रहण, रिपोर्टिंग, निगरानी तथा पर्यवेक्षण हेतु सक्षम बनाने के लिए, एक ऑनलाइन जेजेएम - जल गुणवत्ता प्रबंधन सूचना प्रणाली (डब्ल्यूक्यूएमआईएस) पोर्टल विकसित किया गया है। डब्ल्यूक्यूएमआईएस के माध्यम से सूचित जल गुणवत्ता परीक्षण का राज्य-वार ब्यौरा जेजेएम डैशबोर्ड पर पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है और इसे निम्न लिंक पर भी देखा जा सकता है:

https://ejalshakti.gov.in/WQMIS/Main/report

जेजेएम डैशबोर्ड पर एक 'सिटीजन कॉर्नर' भी विकसित किया गया था। इस कॉर्नर में ग्रामीण क्षेत्रों में पीडब्ल्यूएस के माध्यम से जल आपूर्ति की गुणवत्ता के बारे में जागरूकता का प्रसार करने और लोगों में विश्वास पैदा करने के लिए पब्लिक डोमेन में जल गुणवत्ता परीक्षण के परिणामों का प्रदर्शन शामिल था।

*****